मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 2 जनवरी, 2006 (पौष 12, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, सरदार गुलाब सिह के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्रीमती जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष, सदस्यगण डॉ. सुनीलम्‌, श्री मनमोहन शाह बट्‌टी, श्री हमीद काजी, श्री रामलखन शर्मा तथा डॉ आई.एम.पी. वर्मा ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10.37 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.42 को पुनः प्रारम्भ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए

2. नव वर्ष की बधाई

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन के सदस्यों सहित प्रदेश की जनता को नव वर्ष 2006 की शुभकामनाएं दी गई साथ ही नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुनादेवी एवं सदस्य, श्री रामलखन शर्मा ने भी सदन के समस्त माननीय सदस्यों सहित प्रदेश की जनता को नव वर्ष 2006 की शुभकामनाएं दी।

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 593) "मध्यप्रदेश में विदेशी पूंजी निवेश" संबंधी विषय पर प्रदेश में पूंजी निवेश न होने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 106 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 110 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी ने शून्यकाल के दौरान मामला उठाया कि श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के विरूद्ध अदालत में चल रहे प्रकरण एवं गिरफ्तारी वारंट के चलते उन्होनें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होने इस संबंध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की और दिये गये ज्ञापन का भी स्मरण कराया। इस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रमुख सचिव से जानकारी मंगाने की बात से सदन को अवगत कराया।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों तथा सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के विरूद्ध चल रहे प्रकरणों को शासन द्वारा वापस लेने के विरोध में मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग करते हुए विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

5. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. आई एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के मऊगंज में स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाए जाने,

(2) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के चौरई तहसील में कृषकों को भू-अभिलेख की सत्य-प्रतिलिपि निर्धारित समय पर न मिलने.

(3) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य ने राजगढ़ जिले के कलेक्टर कार्यालय में रोगी कल्याण समिति के नाम से अवैध राशि वसूली जाने,

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने इन्दौर एम.व्हाय. अस्पताल में चिकित्सक की लापरवाही से जबरन कालोनी निवासी व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाने,

(5) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले की रेत खदानों में कार्यरत मजदूरों को बोनस राशि का भुगतान न किये जाने,

(6) श्री रामदास उईके, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के जामई क्षेत्र के अंतर्गत स्टाम्प आदि के घटिया कार्य होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(7) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य ने ओंकारेशेवर परियोजना का कार्य प्रारंभ होने से नाविकों का व्यवसाय ठप्प होने,

(8) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले के हाईस्कूल बर्रेड का उन्नयन किए जाने,

(9) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद होने से जनता परेशान होने, तथा

(10) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की छतरपुर में भूख के कारण मौत होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

6. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखा :-

(1) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्रमांक 3 सन् 2005) ;तथा

(2) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005).

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13 सन् 1984) की धारा 22 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-308-2000-दस-3, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 तथा

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्य मंत्री, खनिज साधन ने मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) की धारा 3 एवं 11 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार खनिज साधन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(1) क्रमांक एफ-19-60-2002-बारह-2, दिनांक 5 अगस्त, 2005; तथा

(2) क्रमांक 19-60-2004-बारह-1, दिनांक 30 सितम्बर, 2005,

पटल पर रखी।

8. महामहिम राज्यपाल महोदय का संदेश

(1) सभा द्वारा यथापारित एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय विधेयक,2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) के संबंध में महामहिम राज्यपाल की ओर से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना तदुपरांत पुनर्विचार के लिये लौटाए गये विधेयक को पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि -

(1) मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2003 को यथापारित एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ था जिसकी सूचना मान. सदस्यों को पत्रक भाग-2, क्रमांक - 95, दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 द्वारा दी जा चुकी है। महामहिम राज्यपाल का संदेश निम्न प्रकार है :-

"एन.आई.आई.टी विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक36 सन् 2003) दिनांक 8 अगस्त, 2003 को विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति हेतु लंबित था."

(2) मुझे सलाह दी गई है कि इस विधेयक (क्रमांक 36 सन् 2003) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 3 सन् 1956) के अंतर्गत बनाये गये वनियमों में निजी विश्वविद्यालयों में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं तथा संकायों के संबंध में न्यूनतम् मापदण्डों संबंधी प्रावधान अंतर्विष्ट नहीं है।

(3) मंत्रि - परिषद् ने दिनांक 02.02.05 को प्रश्नाधीन विधेयक को वापिस लेने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने इस विधेयक के स्थान पर नया विधेयक प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया है.

(4) अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अधीन मै इस विधेयक को विधान सभा के पुनर्विचारार्थ वापस करता हूं।

हस्ताक्षर :-
बलराम जाखड़
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश

प्रमुख सचिव (विधान सभा) डॉ. ए.के. पयासी ने मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2003 को यथापारित और महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए रूप में एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय विधेयक,2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) को मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 (2) की अपेक्षानुसार पटल पर रखा.

(2) सभा द्वारा यथापारित जे.पी. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक 37 सन् 2003) के संबंध में महामहिम राज्यपाल की ओर से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना तदुपरांत पुनर्विचार के लिये लौटाए गये विधेयक को पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि -

मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2003 को यथापारित जेपी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक 37 सन् 2003) के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से संदेश प्राप्त हुआ था जिसकी सूचना माननीय सदस्यों को पत्रक - भाग -2, क्रमांक 94, दिनांक 26 सितम्बर, 2005 द्वारा दी जा चुकी है . महामहिम राज्यपाल का संदेश निम्नप्रकार है :-

"जेपी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक,2003(क्रमांक 37 सन् 2003) को विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति हेतु लंबित था"

(2) मुझे सलाह दी गई है कि इस विधेयक (क्रमांक 37 सन् 2003) मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक-3 सन् 1956) के अंतर्गत बनाये गये विनियमो में निजी विश्वविद्यालयों में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं तथा संकल्पों के संबंध में न्यूनतम् मापदण्डो संबंधी प्रावधान अंतर्विष्ट नहीं है।

(3) मंत्रि परिषद् ने दिनांक 2.2.05 को प्रश्नाधीन विधेयक को वापिस लेने का निर्णय लिया है राज्य सरकार ने इसे विधेयक के स्थान पर नया विधेयक प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया है।

(4) अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अधीन मैं इस विधेयक को विधान सभा के पुर्नविचारार्थ वापिस करता हूँ"

हस्ताक्षरः-
बलराम जाखड़
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश

प्रमुख सचिव, विधान सभा, डॉ.ए.के.पयासी ने मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2003 को यथापारित और महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पुर्नविचार के लिए लौटाए गए रूप में जेपी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक 37 सन् 2003) को मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 (2) की अपेक्षानुसार पटल पर रखा।

9. जुलाई-अगस्त, 2005 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई-अगस्त,2005 सत्र,निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

10. नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2005 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई-अगस्त,2005 सत्र में पढ़ी गई सूचनाएं तथा उन पर शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

11. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित 14 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैः-

(1) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक,2005 (क्रमांक 12 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2005),

(2) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक,2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2005),

(3) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -5) विधेयक,2005 (क्रमांक 14 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2005),

(4) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -6) विधेयक,2005 (क्रमांक 15 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2005),

(5) मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन)विधेयक,2005 (क्रमांक 9 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2005),

(6) मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक,2005 (क्रमांक 10 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2005),

(7) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक,2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक18 सन् 2005),

(8) मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक,2005 (क्रमांक 17 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक19 सन् 2005),

(9) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2005 (क्रमांक 21 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2005),

(10) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक,2005 (क्रमांक 11 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2005),

(11) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक,2005 (क्रमांक 19 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2005),

(12) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक,2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2005),

(13) मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 20 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2005), तथा

(14) मध्यप्रदेश लोक वानिकी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 8 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 25 सन् 2005).

12. सुश्री उमा भारती को म.प्र.विधानसभा में भा.ज.पा. विधायक दल से असम्बद्ध करने संबंधी सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल मध्यप्रदेश के स्थायी सचिव की ओर से मध्यप्रदेश विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-47 मलेहरा से निर्वाचित सदस्या सुश्री उमा भारती को मध्यप्रदेश विधानसभा में भाजपा विधायक दल से असम्बद्ध करने के संबंध में निम्नानुसार सूचना प्राप्त हुई है :-

"भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 में उल्लेख किया है कि भा.ज.पा. संसदीय बोर्ड ने सुश्री उमा भारती, विधायक, मध्यप्रदेश विधानसभा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का निर्णय लिया है,

निर्देशानुसार सुश्री उमा भारती को मध्यप्रदेश विधानसभा में भा.ज.पा. विधायक दल से असम्बद्ध कर दिया गया है."

भारतीय जनता पार्टी विधायक दल, मध्यप्रदेश के उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-47 मलेहरा से निर्वाचित सदस्या सुश्री उमा भारती को मध्यप्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल से असम्बद्ध सदस्य घोषित किया जाता है.

(श्री अजय सिंह एवं श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने उनकी बात न सुनी जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

13. ध्यानाकर्षण

(1) श्री नानाभाऊ मोहोड तथा श्री आरिफ अकील, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के विकासखंड बिछुआ में अतिवृष्टि के कारण कृषकों की फसल नष्ट होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री डॉ. गोविन्द सिंह, उम्मेद सिंह बना, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने ग्वालियर एवं चंबल क्षेत्र के कृषकों को राजघाट एवं चंबल नहर प्रणाली से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

14. वर्ष 2005-06 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2005-2006 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

अध्यक्ष महोदय ने इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार हेतु दिनांक 3 जनवरी, 2006 को 2 घंटे का समय नियत किया।

15. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभापति तालिका के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्रीमती सुधा जैन

(2) श्री लाल सिंह आर्य

(3) श्री ज्ञान सिंह

(4) श्री किशोरीलाल वर्मा

(5) श्री इन्द्रजीत कुमार

(6) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब)

16. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के -

(क) लहार वैशपुरा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) लहार सेवढ़ा मार्ग के अनोई नाले पर पुल बनाये जाने, तथा

(ग) लहार छतारेपुरा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य ने राजगढ़ जिले के -

(क) नेवज नदी पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम राजगढ़ से किला अमरगढ़ तक, खिलचीपुर से पपडेल भूमरिया तक तथा राजगढ़ से पिपलोदी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण एवं मरम्मत कराये जाने,

(3) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम बोलखेड़ा नाऊ में हाई स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम बासोन में हाई स्कूल खोले जाने,

(ग) ग्राम खेड़ाखजूरिया से कुण्डीखेड़ा तक पक्की सड़क बनाये जाने, तथा

(घ) ग्राम झाड़ी से गोगाखेड़ा तक सड़क बनाये जाने,

(4) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य ने रीवा जिले के ग्राम डोल स्थित तालाब का पट्टा निरस्त कराये जाने, तथा

(5) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के -

(क) ग्राम सिकरोदा में माध्यमिक विद्यालय खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम पिपरासा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

संबंधी याचिकायें प्रस्तुत की।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005),

(2) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 23 सन् 2005),

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2005),

सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किये।

18. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलाखन शर्मा, श्री आरिफ अकील, श्रीमती जमुना देवी , श्रीमती सरोज बच्चन नायक, पं हरिचरण तिवारी, श्री सज्जन सिंह वर्मा तथा श्री सुखदेव पांसे सदस्य ने प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत की दरों में बार-बार वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा उठाई.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(3) श्री रामलखन शर्मा **(भाषण अपूर्ण)**

(1.00 बजे से 2.32 बजे तक अन्तराल)
उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(4) श्री आरिफ अकील,
(5) पं. हरिचरण तिवारी
(6) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(7) श्री सुखदेव पांसे
(8) डॉ. सुनीलम्
(9) श्री लालसिंह आर्य
(10) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(11) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(12) श्री राजेश पटेल
(13) श्री प्रदीप जायसवाल **(भाषण अपूर्ण)**

(चर्चा अपूर्ण)

05.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी, 2006 (पौष 13 , 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.